सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 59/15 **निर्णय दिनांक 23.01.2018**

1. रामरखराम पुत्र हमीराराम जाति बिश्नोई निवासी कूदसू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. हड़मानराम पुत्र हमीराराम जाति बिश्नोई निवासी कूदसू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. धोंकलराम
2. बींझाराम

पुत्रगण छोगाराम जाति बिश्नोई निवासी कूदसू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

3. राजाराम पुत्र जस्सूराम
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा।
5. ग्राम पंचायत कूदसू जरिये सरपंच।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 02—06—2015

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 02—06—2015 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक वाद इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट की गत् खसरा नम्बर 286 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 691 तादादी 13.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 तादादी 1.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 693 तादादी 10.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 694 तादादी 1.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 822 तादादी 1.91 हेक्टर भूमि वाके रोही कूदसू में स्थित है। जिसमें से गावं कूदसू से गावं भादला कटाणी मार्ग खेत पूर्व सीमा से होकर सेटलमेंट से पूर्व से चला आ रहा है तथा वर्तमान नक्शा की सीमा व वर्तमान में चालू मार्ग की स्थिति से परे जाकर खसरा नम्बर 286 में उल्लेखित मार्ग के अनुरूप नहीं जाकर वर्तमान नक्शा में खसरा नम्बर 691, 693 की पूर्वी सीमा पर मोड़कर दर्शाया जाकर वर्तमान नक्शा में मार्ग की स्थिति बदल दी गई जो सेटलमेंट को अधिकार नहीं था।

उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में दर्शाये मार्ग का अंकन मौका पर पीढ़ियों से यथावत चला आ रहा है जो अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 827 व 829 के पश्चिम सीमा से ही मौका पर उपयोग चला आ रहा है। उक्त मार्ग अपीलांट के हिस्सा खेत के पश्चिम से चिपता है उक्त मार्ग को हटा दिया जाता है तो अपीलांट को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपीलांट के खेत के पास से उक्त आम रास्ता होने से अपीलांट को व रेस्पोडेन्ट व आम जन को हर तरह की सुविधा रहेगी जो न्याय हित की दृष्टि से भी उचित है। इसलिए उक्त मार्ग जहॉ वर्तमान में चालू है पूर्व पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के कथनानुसार वर्तमान नक्शा मुताबिक ग्रेवल सड़क बनाई जा चुकी है व अपीलाधीन निर्णय वर्तमान सरंपच सड़क बनाने पर अमादा है व पूर्व बनी सड़क को नष्ट करन से राजकीय राजस्व हानि होने की प्रबल संभावना है।

अपीलांट ने आगे कथन किया किया वादगत् भूमि वाके खेत खसरा नम्बर 822 के दखिण पूर्वी किनारे पर अंकित रास्ता जो वर्तमान नक्शे से

हटाकर खसरा नम्बर 693 व 691 की पूर्वी—उत्तरी तरफ से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये है जबकि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है। समस्त चकवासी इसी रास्ते का उपयोग पुराने समय से करते आ रहे है। चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया गया। जबकि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून में दी गई व्यवस्था के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रास्ता स्वीकृति आदेश से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251 ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2007 पार्ट ाा पेज 1224, आरआरटी 2014 पार्ट ा पेज 843, आरआरडी 1989 पेज 147, आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट ाा आरजे पेज 1164, आरआरटी 2003 पार्ट ा पेज 48, आरआरटी 2011 पार्ट ा पेज 6 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण के खातेदारी अधिकारों की भूमि गत् खसरा नम्बर 286

रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 691 तादादी 13.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 तादादी 1.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 693 तादादी 10.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 694 तादादी 1.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 822 तादादी 1.91 हेक्टर भूमि वाके रोही कूदसू में स्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्ट/वादीगण का खाता विभाजन के अनुरूप कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में से होकर ग्राम कूदसू से ग्राम भादला की और जाने वाले कटाणी रास्ता खेत की पूर्वी सीमा से होकर प्रथम सेटलमेंट से पूर्व से ही मार्ग निकलता है व उक्त मार्ग पर आवागमन चला आ रहा है। जिसका अंकन गत् खसरा नम्बर 286 के नक्शें में स्पष्ट रूप से अंकित हैं तथा वर्तमान मार्ग रास्ता इसी नक्शा अनुरूप ही चला आ रहा है। द्वितीय सेटलमेंट के समय सेटलमेंट के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा गत् नक्शें के अनुसार ही रास्ता कायम किया जाना चाहिए था लेकिन गत् खसरा नम्बर 286 में अंकित कटाणी रास्ता तथा वर्तमान में चालू मार्ग की स्थिति से परे जाकर यानि खसरा नम्बर 286 में उल्लेखित मार्ग के अनुरूप नहीं जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 691, 693 की पूर्वी सीमा पर मोड़ देकर दर्शाया जाकर वर्तमान नक्शें में मार्ग की स्थिति को बदल दी गई। जबकि वर्तमान में रास्ता पूर्व की भांति ही चला आ रहा है। ?

उन्होंने आगे बताया कि सेटलमेंट के दौरान वर्तमान नक्शें में उल्लेखित कटाणी मार्ग को गत् नक्शे व वर्तमान में अस्तित्व में चला आ रहा मार्ग के अनुरूप सीधा व सटीक मार्ग के विपरीत खसरा नम्बर 691, 693 की पूर्वी सीमा पर टेढ़ा—मेढ़ा व धुमावदार मोड़ देकर गलत अंकन कर दिया व खेत की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया। जिससे रेस्पोडेन्ट/वादीगण की खातेदारी भूमि में से ज्यादा भूमि राजकीय मार्ग में चली गई जबकि गत् नक्शा व वर्तमान चालू मार्ग के अनुरूप ही वर्तमान नक्शा में दर्शाये जाने से इतनी भूमि राजकीय मार्ग में नहीं जाती। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु वादपत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा नम्बर 822 के दक्षिणी—पूर्वी किनारे पर अंकित रास्ता के स्थान पर खसरा नम्बर 693 व 691 की पूर्वी—उत्तरी तरफ से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये है। अदालत मातहत द्वारा

तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण सार्वजनिक हित के आधार पर रास्ता अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत किया गया है वह मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा खेत खसरा नम्बर 822 के दक्षिण–पूर्वी किनारे पर अंकित रास्ता जो वर्तमान नक्शे से हटाकर खसरा नम्बर 693 व 691 की पूर्वी–उत्तरी तरफ जैसा कि यह रास्ता गत् भू–प्रबन्ध में अंकित था को कायम करने के आदेश प्रदान किये है।

(2) हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह अभिलिखित किया गया है कि मौके पर खसरा नम्बर 693 व 822 की दक्षिणी सीमा मिलान से कोने से सीधा खसरा नम्बर 693 व खसरा नम्बर 691 के बीच में से होते हुए खसरा नम्बर 689 की दक्षिणी माठ तक आता है। जो कि संलग्न नक्शें में लाल स्याही से डोटेड अंकित है। जोकि मौके पर चालू है।

(3) अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार नोखा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत् भू–प्रबन्ध में वादी के खेत के नक्शें में तरमीम किये गये रास्ते के स्थान पर विधि विरूद्व मानते हुए मौके पर यह रास्ता बन्द होने के कारण वादीगण के खेत खसरा नम्बर 822 के दक्षिणी–पूर्वी किनारे पर अंकित रास्ता जो वर्तमान में नक्शें से हटाकर खसरा नम्बर 693 व 691 की पूर्वी–उत्तर तरफ जैसा कि रास्ता गत् भू–प्रबन्ध में अंकित था को कायम करने के आदेश प्रदान किये है। उक्त रास्ता अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें के अनुसार भी होना साबित है। प्रथम सेटलमेंट के अंकन को द्वितीय सेटलमेंट के दौरान

वर्तमान मार्ग की स्थिति को बदल दिया गया। जिसका अधिकार सेटलमेंट को प्राप्त नहीं था।

(4) अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह साबित है कि खसरा नम्बर 693 व खसरा नम्बर 691 की पूर्वी सीमा पर रास्ता टेढ़ा–मेढ़ा व धुमावदार कर गलत अंकन किया गया है जो कि अत्यांतिक असुविधाजनक रास्ता है। जबकि खसरा नम्बर 693 व खसरा नम्बर 691 से सीधा रास्ता खसरा नम्बर 689 की तरफ मिलान करता है उक्त रास्ता सीधा/सुविधाजनक व प्रथम सेटलमेंट के अनुसार है। मौके पर रास्ता भी इसी स्थान पर है। उक्त तथ्य मौका रिपोर्ट में भी अभिलिखित है कि वर्तमान में मौका निरीक्षण के दौरान रास्ता खसरा नम्बर 693 व 822 की दक्षिणी सीमा मिलान व कोने से सीधा खसरा नम्बर 693 व खसरा नम्बर 691 के बीच में से होते हुए खसरा नम्बर 689 की दक्षिणी माठ तक आता है।

(5) जबकि द्वितीय सेटलमेंट के दौरान गत् खसरा नम्बर 286 में उल्लेखित मार्ग के अनुरूप नहीं जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 691 व खसरा नम्बर 693 की पूर्वी सीमा पर मोड़ कर दर्शाया गया है जिससे वर्तमान नक्शें में मार्ग की स्थिति बदल दी गई है। जिसे किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। लिहाजा अदालत मातहत के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 02–06–2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर